

आपदा प्रबंधन



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

SCHEME FOR LEGAL SERVICES TO THE VICTIMS OF DISASTERS THROUGH LEGAL SERVICES AUTHORITIES

1. Background

Sub clause (e) of Section 12 Legal Services Authorities Act, 1987 makes the victims of disasters who are under circumstances of undeserved want as a result of such disaster eligible for free legal services to file or defend a case. But in a disaster of catastrophic nature whether it is natural or manmade, the victims are often taken unawares and are subjected to face the grim situation of loss of life, becoming homeless, destruction of property or damage to or degradation of environment and subject to human sufferings and damage beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Even though it is the duty of the Government and the Administration of the locality to come to the help of the victims of disasters, Legal Services Authorities by virtue of sub-clause (e) of Section 12 can play an effective role by coordinating the activities of the State Administration in the disaster management by way of strategic interventions in an integrated and sustainable manner, reducing the gravity of the crisis and to build a platform for early recovery and development. The Legal Services Authorities shall endeavour to help the victims and the administration for reducing risk and assisting them to adopt disaster mitigation policies and strategies, reducing the vulnerabilities of the geographical and social situation and strengthening their capacities for managing human made and natural disasters at all levels.

2. Name of the Scheme

This Scheme shall be called the Scheme for Legal Services to the victims of disasters through Legal Services Authorities.

3. Objective

The objective of the scheme is to provide legal services to the victims of disaster both manmade and natural - who are under circumstances of undeserved want being victims of mass disaster, ethnic violence, caste atrocities, flood, drought, earthquake or industrial disasters.

The intervention of Legal Services Authorities shall be for coordinating the integrated, strategic and sustainable development measures taken by the Government and Disaster management Authorities for reducing the period of crises and for building a platform for early recovery and development. The thrust of the efforts for by the State Legal Services Authorities

shall be for strengthening the capacity of the victims for managing the disaster at all levels and to coordinate with the Government departments and non-governmental organisations and also for providing legal aid to the victims,

4. Strategic Intervention by the State Legal Services Authorities

The strategy for intervention by the Legal Services Authorities for helping the victims of disasters shall be on the following lines:

1. Ensuring immediate help by Governmental and Non-Governmental Agencies to the victims.
2. Coordinating the activities of different departments of the Government and the NGOs for bringing immediate relief.
3. Supervising the distribution of relief materials.
4. Supervising the construction of temporary shelter or transporting the victims to a safer place.
5. Supervising the reunion of families.
6. Supervising the health care and sanitation of the victims and preventing the spread of epidemics.
7. Supervising the needs of women and children.
8. Ensuring the availability of food, medicine and drinking water.
9. Supervising the reconstruction of damaged dwelling houses.
10. Supervising the restoration of cattle and chattel.
11. Legal Awareness Programmes in the relief camps on the legal rights of the victims,
12. Organising Legal Aid Clinics in the affected areas for assisting in restoration/reconstruction of valuable documents.
13. Assisting the victims to get the benefits of the promises and assurances announced by the Government and Ministers.
14. Assisting in the rehabilitation, care and future education of orphaned children,
15. Taking steps for appropriate debt relief measures for the victims.
16. Assisting in the rehabilitation of the old and disabled who lost their supporting families.
17. Assisting in the problems relating to Insurance Policies.
18. Arranging Bank Loans for restarting the lost business and avocations.
19. Arranging for psychiatrist's help / counselling to the victims who are subjected to physiological shock and depression on account of the disaster.

5. Machinery for Legal Services

The State Legal Services Authorities shall establish a Core group in all districts under the control of the District Legal Services Authorities to spring into action in the event of a disaster, whether manmade or natural.

The Core group shall consist of a senior judicial officer, young lawyers including lady lawyers selected in consultation with the local bar association, Medical Doctors nominated by the local branch of the Indian Medical Association and the NGOs by accredited by the State Legal Services Authority. The Secretary of the District Legal Services Authority shall maintain a Register containing the Telephone numbers and the cell numbers of the members of the Core group.

STRATEGY FOR LEGAL AID TO THE VICTIMS

6. Ensuring immediate help by Governmental and Non-Governmental agencies to the victims

The nodal agency for responding to a disaster shall be the State and District Disaster Management Authorities set up under the Disaster Management Act, 2006. The State Legal Services Authority should immediately alert the District Legal Services Authority concerned who in turn shall get in touch with the Disaster Management Authority of the State and District and gather the details of the steps taken by the latter.

- (a) The Core group set up the District Legal Services Authority shall immediately proceed to the area where the disaster has occurred and get involved in the work of relief.
- (b) The District Legal Services Authority and the Core team shall coordinate the activities of the relief operations by involving themselves and without causing any hindrance to the smooth flow of the relief operations.

7. Coordinating different departments of the government and the NGOs for bringing immediate relief

The State Legal Services Authority at the apex level shall get in touch with the State Disaster Management Authority / Department to ensure that all the departments of the State Government including health, finance, social welfare and police are involved in the relief operations. The State Legal Services Authorities shall coordinate the implementation of the Plan of Action, if any, prepared by the Disaster Management Authorities.

- (a) The State and District Legal Services Authorities shall obtain a copy of the disaster management plan, if any, prepared by the State Disaster Management Authority / District Disaster Management Authority.
- (b) The State Legal Services Authority / District Legal Services Authority shall as far as practicable follow the aforesaid plan and, if necessary, make suggestions to the state administration or Disaster Management Authorities for improving the quality of relief operations.

8. Supervising the distribution of relief materials

In the event of a disaster, the first and foremost step to be taken is to ensure that the victims are provided with adequate support to tide over their undeserved wants. This includes

provision of food, safe drinking water and transferring the victims to safe shelters. The District Legal Services Authority in coordination with the Disaster Management Authority and State Government Departments, shall supervise effective and timely supply of relief materials to the victims of the disaster.

9. Supervising the construction of temporary shelters or transporting victims to safer place

District Legal Services Authority and the Core team shall supervise construction of temporary shelters and transportation of victims to such shelters to other safer places. Any lapses can be reported to the government officer incharge to ensure that the lapses are remedied immediately.

10. Supervising the reunion of families

A disaster may result in sudden disruption of the cohesive unit of families. Members of the family are likely to get separated on account of the disaster or by reason of the rescue operations or on account of medial emergencies. Separation can occur due to loss of life also.

The Core team shall visualise such probable traumatic situations in the families affected by the disaster and shall take necessary steps for consoling the victims and shall take earnest search for the missing members of the families.

11. Supervising the health care of the victims and preventing the spread of epidemics

The District Legal Services Authority shall take prompt steps for coordinating with the District Medical Officer for ensuring that the victims of the disaster are given proper medical care. The injured victims shall be given prompt treatment.

- (a) When a large number of affected persons are congregated in relief camps, adequate sanitation has to be ensured. Steps shall be taken to ensure that the public health authorities are performing cleaning and sanitation of the camps on a regular basis.
- (b) The District Legal Services Authority shall ensure that adequate preventive measures are taken by the health authorities against outbreak of contagious and infectious diseases and water-born diseases can occur in the relief camps.
- (c) Right to health being a concomitant to the Right to Life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, the disaster victims are entitled to adequate health facilities and the Legal Services Authorities are duty-bound to ensure the same through appropriate measures.

12. Supervising the needs of women and children

Women and children are beneficiaries of free legal aid under Section 12 of Legal Services Authorities Act. They are the most vulnerable group amongst the victims of any

disaster. Safety of women and children in the camps and their valuables like ornaments and personal belongings are to be protected. The District Legal Services Authority shall ensure that the Police takes necessary steps for preventing theft and anti-social activities. Legal Services Authorities shall coordinate with the Police Officers to ensure the safety of women and children.

13. Ensuring the availability of food, drinking-water and medicine

The need for food, safe drinking water and medicine are basic human needs and hence are attributes of the Right to life under Article 21 of the Constitution of India. Legal Services Authorities can therefore rightfully intervene and coordinate with the State Government, District Administration and Health Authorities to ensure the availability of food, safe drinking-water and medicine to the victims living in the shelters.

14. Supervising the reconstruction of damaged dwelling houses

Housing is one of the important problems faced by the victims of disasters. Partial or total damage may occur to houses in disasters like earthquake, flood and communal riots. Assurances given by the Ministers and Government officials exgratia payment and funds for reconstruction of damaged houses of the victims may go unfulfilled or forgotten due to passage of time. Efforts shall be taken by the Legal Services Authorities to ensure that such promises are fulfilled and the promised funds or other relief measures are disbursed to the victims without delay.

15. Supervising the restoration of cattle and chattel

Loss of cattle, chattel and household articles are concomitant with all mass disasters. Thieves, looters and anti-socials have a field day during riots and ethnic violence and also during the havocs like flood, drought, pestilence and earth-quake. The District Legal Services Authority in coordination with the Police or Armed Forces shall ensure that the valuables belonging to the victims are not looted or stolen. Similarly, steps shall be taken to protect livestocks and chattel also. The Legal Services Authorities shall coordinate with the animal-husbandry department of the government to save the livestock.

16. Legal Awareness Programmes in the relief camps on the legal rights of the victims

Once the victims are relieved from the immediate shock and impact of the disaster, the Legal Services Authority may chose a convenient time and place near the relief camps for imparting legal awareness to the victims. Women lawyers may be entrusted with the job of conducting informal legal awareness programme, mainly related to the rights of the disasters victims to avail of the relief measures from the authorities. The legal remedies available and the mode in which the benefits of the offers and schemes announced by the government are to be availed of also may be included as topics. Legal Awareness Programmes shall not be

conducted in a ceremonial manner. Inaugural function and other formalities shall be totally avoided.

The ambience of disaster and the mood of grief stricken victims should be fully taken in to account by the resource persons and the steps for legal awareness shall be taken in such a manner as to go along with the measures for consolation and redressal of the grievances of the victims. Visits by women lawyers to the camps and homes of the victim will be desirable.

17. Organising Legal Aid Clinics in the affected areas for assisting in the reconstruction of valuable documents

It is likely that the victims of disaster have lost their valuable documents like titled deeds, ration cards, identity cards, school and college certificates, certificate of date and birth, passport, driving licence etc. The District Legal Services Authority shall organise legal aid clinics in the affected areas and assist the victims to get duplicate certificate and documents by taking up the matter with the authorities' concerned. Arrangements for issuing Death Certificates of the deceased victims also shall be made.

18. Taking care of the rehabilitation and the future care and education of the orphaned children

Orphaned children are the living monuments of disasters. Loss of childhood, paternal affection are likely to haunt them for the rest of their lives. At times, the orphaned children may get affected with psychiatric problems also.

The Legal Services Authority shall seek the help of voluntary organizations Philanthropists large business houses and Corporates for sponsoring the educational needs and accommodation of such children till they attain the age of maturity. In appropriate cases, the Legal Services Authority may assist such children to be taken care of under provisions of the Juvenile Justice (care and protection) Act.

19. Taking steps for appropriate debt relief measures for the victims

Rehabilitation of disaster victims is a gigantic challenge for any administration. The adequate funds should be made available to the victims who lost everything in their life for rebuilding their avocation, buying agricultural implements and other implements required for their avocations in which they were engaged prior to the disaster. Victims belonging to fisherman community may require huge amounts for buying nets, boats and outboard engines. Such measures of rehabilitation may require the assistance of government departments concerned. The State Legal Services Authority shall coordinate with Public Sector Banks, Social Welfare Department and other departments concerned for helping the victims to restart their avocations. In appropriate cases, provisions in the laws relating to debt relief shall be invoked.

20. Rehabilitation of the old and disabled who lost their supporting families

Persons with disabilities as defined in Clause (e) of Section 2 of Disabilities (Equal Opportunity) Protection of Rights and Full Participation Act, 1995 are entitled to free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act. Senior citizens are entitled to certain benefits under the provisions of Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act. The senior citizens and disabled persons who lost their support on account of disasters shall be identified and appropriate legal aid shall be given to them.

21. Problems relating to Insurance Policies

The Legal Services Authorities shall take up the insurance claims of the disaster victims with the Insurance Companies for settlement of such claims. Negotiations may be undertaken with the Insurance Company officials for a settlement favourable to the victims. In appropriate cases the service of Insurance Ombudsman also may be availed of.

22. Arranging Bank Loans for restarting the lost business and avocations

The victims who suffered substantial loss of their business and implements used in their avocations shall be helped by adopting proper restorative measures. For this purpose, efforts shall be made to make available financial assistance of nationalised banks and other public sector financial institutions. The Legal Services Authorities shall persuade the officials of such financial institutions to raise to the occasion for helping the victims.

23. Arranging for the services psychologists/psychiatrists help for counselling the victims suffering from psychological shock and depression on account of the disaster

Mental shock and the related psychiatric manifestations are usually seen associated with the traumatic effects of disasters on the victims and their family members. Sudden loss of human life and the horrifying experiences of the trauma of the disasters can result in mental shock and psychiatric problems not only to the victims but also to their family members. The District Legal Services Authority shall in coordination with the District Medical Officer make necessary arrangements for the services of psychiatrists and psychologists.

The District Authority shall ensure the presence of the members of the Core group at the relief camps everyday till the victims are rehabilitated.

24. District Legal Services Authority shall collect reports from the Core Group

District Legal Services Authority shall collect daily reports from the Core group working at the location of the disaster. Copies of such reports shall be sent to the State Legal Services Authority. The State Legal Services Authority shall consolidate the reports and send a comprehensive report to the National Legal Services Authority and copies thereof shall also be sent to the District Management Authorities of the State and District. Copies of the report shall be placed before the Patron-in-Chief of the State Authorities and also in the meeting of the State Authority.

If any difficulty arises in giving effect to this Scheme, the State Legal Services Authority and District Legal Services Authority or the Core group may seek guidance from the Executive Chairman of the State Authority.

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

8. राहत एवं पुनर्वास

दृष्टिकोण

8.1.1 राहत को मात्र आनुग्रहिक सहायता अथवा समय पर आकस्मिक राहत आपूर्ति के प्रावधान के रूप में ही नहीं परिकल्पित किया गया है। इसके विपरीत ऐसे राज्यों में आपदाग्रस्त लोगों के पुनर्वास तथा प्रभावित लोगों की सामाजिक सुरक्षा तथा रक्षा हेतु सहायता के सरलीकरण की अधिमेहराबी पद्धति के रूप में विचारित किया गया है। राहत शीघ्र, पर्याप्त तथा अनुमोदित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। राहत के न्यूनतम मानकों को परिभाषित करते हुए मार्ग निर्देश एन.डी.एम.ए. द्वारा किए जाएंगे।

अस्थाई राहत षिविरों की स्थापना

8.2.1 डी.डी.एम.ए., विषेषकर आवर्ती आपदा बहुल क्षेत्रों में अस्थाई षिविरों की स्थापना के लिए अवस्थलों की पहचान करेगा। आपदा-पूर्व दौर में आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसियों की पहचान की जाएगी। राहत षिविरों की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थानों के प्रयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

8.2.2 अस्थाई षिविरों में पीने और नहाने के पानी, स्वच्छता तथा आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। जहाँ व्यावहारिक हो, वहाँ सामुदायिक रसोई के द्वारा भोजन का प्रावधान तथा विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी की पुनर्स्थापना के द्वारा शिक्षण के प्रावधान की संभावना को तलाशने के लिए आपदाग्रस्त परिवारों से विषेष टॉस्क फोर्सों की स्थापना की जाएगी। अपने-अपने डी.डी.एम.ए. के माध्यम से, एक समरूप मानवता शासन पद्धतियों के हिस्से के रूप में हकदारी-पत्र, लैमिनेट किए हुए पहचान पत्र आदि जैसी कुषल शासन प्रणालियां विकसित की जाएंगी।

राहत आपूर्ति का प्रबंधन

8.3.1 राहत एवं आपूर्ति के द्रुतगामी प्रबंधन के न्यूनतम मानक सुनिष्चित करना राहत कार्यों की महत्वपूर्ण विषेषताएं हैं। राहत मदों, जिन्हें व्यवस्थित तरीके से पहुँचाने की जरूरत होती है, के प्राप्ति, पैकेजिंग, परिवहन, भण्डारण तथा वितरण को सुनिष्चित करने के लिए एस.ओ.पी.को यथा स्थान प्रतिष्ठित किया जाएगा। राहत षिविरों के प्रबंधन हेतु प्रभावित समुदायों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को आगे-पीछे कार्य

करना चाहिए। नकद अथवा अन्य रूप में प्राप्त की गई दान सहायताओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रबंध हेतु दिषा निर्देश विकसित किए जाएंगे।

राहत के मानकों की समीक्षा

8.4.1 अधिकतम राज्यों में आपदा से प्रभावित समुदायों की समकालीन आवष्यकताओं का समाधान करने के लिए राहत के विद्यमान मानकों की समीक्षा की जानी आवश्यक है। एन.डी.एम.ए. के दिषानिर्देशों के अनुसार राहत के प्रबंध हेतु मानदण्डों, मानकों तथा मापदण्डों को निर्धारित करने के लिए एम.डी.एम.ए. राहत कोड/नियमावलियों की समीक्षा करे तथा आपदा प्रबंधन कोड तैयार करे।

अस्थायी जीविका विकल्प तथा सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास

8.5.1 किसी भी महा-आपदा के घटित होने पर सामान्यतः प्रभावित समुदाय हेतु अस्थायी जीविका विकल्प पैदा करने की आवष्यकता उत्पन्न होती है और राज्य सरकार को चाहिए कि वे अपने डी.एम. योजना प्रक्रिया में इस पहलू को मान्यता दें। ऐसे किसी भी विकल्प में यह सुनिष्चित करना आवश्यक है कि उत्पन्न की गई सम्पत्ति, आधारिक संरचना एवं सुख-सुविधाएं जोखिम रहित, स्थायी, भरण-पोषण योग्य तथा लागत दक्ष हों।

मध्यम आश्रय-गृहों की व्यवस्था

8.6.1 सर्वनाशी आपदाओं के मामलों में, जहां तीव्र मौसम अवस्थाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं अथवा जब आश्रम-गृहों में रहने की अवधि अधिक एवं अनिष्चित हो, वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाओं सहित मध्यम आश्रय गृहों के निर्माण की जिम्मेदारी हाथ में ली जाएगी जिससे कि प्रभावी लोगों के लिए संतुलित गुणवत्ता की जिंदगी सुनिष्चित की जा सके। ऐसे आश्रय गृहों की बनावट पर्यावरण अनुकूल होने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होगी। एस.डी.एम. हेतु यह वांछनीय होगा कि प्रशमता की अवधि के दौरान मध्यम आश्रय गृहों की रूपरेखा सुनियोजित कर लें जो लागत प्रभावी तथा स्थानीय जरूरतों के साथ बहुउपयोगी क्षमता वाली हो।

9. पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली

दृष्टिकोण

9.1.1 पुनर्निर्माण प्रक्रिया के प्रति व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदला जा सके। 'पहले से बेहतर निर्माण' के लिए आपदा संवेदी विषिष्टताओं को शामिल करना मार्गदर्शी सिद्धान्त होना चाहिए। इस चरण में सभी संबंधित व्यक्तियों से अत्यधिक धैर्य और अथक प्रयास किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस चरण की जरूरतों के प्रति प्रषासन, पण्धारियों तथा समुदायों को ध्यान संकेन्द्रित रहने की आवष्यकता है क्योंकि समय के साथ-साथ इसकी अत्यावष्यकता समाप्त होने लगती है। उचित तकनीक का चुनाव तथा परियोजना के प्रभाव का आंकलन किया जाना आवश्यक है।

जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि विचाराधीन परियोजनाएं कहीं प्रभावित क्षेत्रों अथवा उनके पड़ोस के भौतिक, सामाजित-सांस्कृतिक अथवा आर्थिक वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल रही हैं। मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता और सदमें से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली के दौरान इसका कार्यान्वयन हो सके।

स्वामित्व आधारित पुनर्निर्माण

9.2.1 पुनर्निर्माण योजनाओं तथा मकानों की रूपरेखा बनाने में भागीदारी प्रक्रिया होने की आवश्यकता है जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, गैर-सरकारी संगठन और निगमित सेक्टर सम्मिलित हों। योजना बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हालांकि स्वामित्व आधारित पुनर्निर्माण एक प्राथमिकता वाला विकल्प है फिर भी गैर-सरकारी संगठनों तथा कॉरपोरेट सेक्टर के योगदानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्निर्माण कार्यक्रम सरकारी द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर तथा गुणवत्तापरक विनिर्देशों के अनुसार होगा।

त्वरित पुनर्निर्माण

9.3.1 अनिवार्य सेवाओं, सामाजिक अवसंरचना तथा मध्यम आश्रय स्थलों/षिविरों को कम से कम समय में स्थापित किया जाएगा। स्थायी पुनर्निर्माण के लिए मकानों के निर्माण सहित कार्य सामान्यतः दो से तीन वर्षों के भतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। संबंधित मत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित परियोजना दलों को गठित करें।

9.3.2 सामान्य अवधि के दौरान अत्यधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न पण्धारियों से परामर्श करके वास्तुषिल्प तथा ढांचागत डिजायन शामिल हो सकती है।

सामान्य स्थिति की बहाली के साथ सुरक्षित विकास को जोड़ना

9.4.1 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अवसंरचना तथा पिछड़े तथा अगड़े संपर्क-सूत्रों में आयी कमियों को दूर करने पर जो दिया जाना चाहिए। जीवनयापन के साधनों, शिक्षा, चिकित्सा-सेवा की सुविधाओं, बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों आदि की देखभाल में सहायता करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्य दूसरे पहलुओं जिन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैं, वे हैं, सड़कें, आवास, पेयजल, स्रोत, सफाई सुविधाओं के लिए प्रावधान, क्रेडिट की उपलब्धता, कृषि से जुड़ी जानकारी देना, खेत में तथा इससे बाहर की गतिविधियों में शामिल प्रौद्योगिकी का उन्नयन, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन आदि।

जीवनयापन को पुनः बहाल करना

9.5.1 राज्य सरकारों को चाहिए कि वे आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी जीवनयापन देने पर जोर दें तथा महिला मुखिया वाले घरों, षिल्पकारों, किसानों तथा हाषिए पर गए एवं कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दें।

10. क्षमता निर्माण

दृष्टिकोण

10.1.1 शामिल व्यक्तियों के सक्रिय तथा जोशपूर्ण भागीदारी से ही क्षमता विकास के प्रति एक रणनीति दृष्टिकोण प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रषिक्षण, अनुसंधान तथा विकास आदि सम्मिलित हैं। इससे आपदाओं के प्रभावी-निवारण तथा इसके प्रबंधन के लिए समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन व्यवस्थाओं तथा स्रोतों का आवंटन संभव होगा।

10.1.2 चूंकि इन पहलुओं में से कुछ पहलुओं की चर्चा अन्य अध्यायों में की गई है और इसलिए यह भाग, केवल जागरूकता, आपदा विकास तथा प्रषिक्षण पर प्रकाष डालता है। क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षेत्रीय असमानताओं तथा बहु-आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विषिष्ट आवश्यकताओं के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।
- राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्रधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पण्धारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।
- अपनी कुषलता सिद्ध कर चुके ज्ञान-आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।
- अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- टेबल-टॉप अभ्यासों, सिम्यूलेशन्स, मॉक-ड्रिलों तथा योजनाओं की जांच करने हेतु कौशल के विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण करना।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

10.2.1 क्षमता निर्माण के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, प्रषिक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा समुदायों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

10.2.2 डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा वास्तुकारों जैसे विषेषज्ञों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने पर समुचित महत्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूलों सहित सभी स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों में व्यवहारिक आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल बनाने सहित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के विस्तार पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

संस्थागत क्षमता निर्माण

10.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसूची के विकास तथा उसके कार्यान्वयन को सुकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नोडल संस्थान भी होगा। विभिन्न राज्यों में अनेक प्रसिद्ध संस्थान हैं जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे प्रयासों का अनुकरण करेंगे। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के राज्य-स्तरीय संस्थानों, एनडीआरएफ के चार अर्ध सैनिक बल प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी में मौजूद आपदा प्रबंधन सैल आपदा प्रबंधन से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मदेनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

समुदायों का प्रशिक्षण

10.4.1 समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरूकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा तथा गैर-सरकारी संगठनों/रेड क्रास एवं स्वं-सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जायगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्रधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

पेशेवर तकनीकी शिक्षा

10.5.1 वास्तुशिल्प, इंजीनियरी, पृथ्वी विज्ञान तथा चिकित्सा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी जिससे कि प्रत्येक विशेषीकृत क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन से जुड़े तात्कालीन ज्ञान को शामिल किया जा सके। स्कूलों तथा कॉलेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में एनसीसी तथा छात्र स्काउट की भूमिका होगी। राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय तकनीकी उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में एक विशिष्ट शैक्षणिक विषय के रूप में आपदा प्रबंधन के विकास को बढ़ावा देगा।

स्कूलों में आपदा प्रबंधन संबंधी शिक्षा

10.6.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल किया गया है जिसे अपने—अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के माध्यम से सभी स्कूलों में विस्तारित किया जाएगा। राज्य सरकार भी यह सुनिष्चित करेगी कि राज्य स्कूल बोर्डों के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शामिल हो। शिक्षण सामग्री में कौशल आधारित प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक तथा नेतृत्व गुणों का समावेश होगा। स्कूलों तथा कॉलेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में एनसीसी और छात्र स्काउटों की भूमिका होगी। आपदा संबंधी शिक्षा का उद्देश्य स्कूल की आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ—साथ तैयारी तथा सुरक्षा का वातावरण विकसित करना होगा।

कारीगरों को प्रशिक्षण

10.7.1 कारीगरों के कौशल का उन्नयन करना क्षमता संबंधी निर्माण प्रक्रिया का अन्य महत्वपूर्ण भाग है। केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग यह सुनिष्चित करेंगे कि कारीगरों के प्रशिक्षण हेतु सतत् कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बना रहे। इस कार्यकलाप को सक्रियता से चलाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई.आई.टी.) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों (एन.आई.टी.) से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। औद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) तथा अन्य केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से कार्यान्वयन में मदद ली जाएगी। व्यापक भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए ये कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी निर्माणकर्ताओं, ठेकेदारों तथा गैर—सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षित कारीगरों के उपयोग में अहम भूमिका निभाए जाने की आशा है।

अन्य समूहों का प्रशिक्षण

10.8.1 पैरामेडिक्स, समाज सेवकों, प्लम्बरों सैनिटरी फिटरों तथा सुरक्षा लेखा परीक्षणकों जैसे अन्य विशेषज्ञ समूह भी समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन समूहों को भी समुचित कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लाइसेंस देना तथा प्रमाणीकरण

10.9.1 निर्माण क्षेत्र में आपदा—रोधी निर्माण सुनिष्चित करने के लिए विशेषज्ञों के कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। बी.आई.एम. से अनुरोध किया जाएगा कि वह विशेषज्ञ निकायों की मदद से समान कोड (युनिफार्म कोड) तथा विनिर्देशनों को विकसित करे। राज्य सरकारें एक योजना विकसित करेगी ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि केवल समुचित रूप से अहता प्राप्त विशेषज्ञ ही उसके भू—भाग में काम करें। राज्य सरकारें अपने जोखिम परिदृष्टि के अनुरूप अपेक्षित मानकों को बनाए रखने के लिए स्वयं अपने पंजीकरण मानदंडों को लागू करेंगी।

प्रेषक,

एम.एस. चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग,

देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के सम्बन्ध में राहत सहायता आदि उपलब्ध कराये जाने विशयक।

महोदय,

उपर्युक्त विशय से सम्बन्धित षासनादेष संख्या: 475 / गटप्प-(2) / १३-४(27) / 2010, दिनांक 27 जून, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निरेष प्राप्त हुआ है कि मानसून अवधि में आपदा से हुई क्षति के सम्बन्ध में षासन स्तर पर सम्यक विचारापरान्त निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1— आपदा में क्षतिग्रस्त साधारण किस्म के ढाबे/अन्य दुकानों को रु0 50,000/- (अधिकतम धनराषि रु0 01 लाख) की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2— आपदा में पूर्णतः क्षतिग्रस्त होटल हेतु रु0 2.00 लाख, रु0 2.00 लाख से रु0 10.00 लाख तक की क्षति होने पर कुल क्षति का 30 प्रतिष्ठत, रु0 10.00 लाख से रु0 20.00 लाख तक की क्षति होने पर कुल क्षति का 20 प्रतिष्ठत एवं रु0 20.00 की अधिक की क्षति होने पर कुल क्षति का 10 प्रतिष्ठत की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

3— आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सड़क मार्गों से बंज.वर्फी हो गये हैं, को माह जुलाई, 2013 में प्रति 05 सदस्यों पर 15 किम्प्रा 0 चावल, 15 किम्प्रा 0 आटा, 05 किम्प्रा 0 दाल, 03 किम्प्रा 0 चीनी, 01 लीटर तेल, मसाले, नमक, माचिस एवं 10 लीटर केरोसीन तेल जिसमें परिवहन का व्यय भी सम्मिलित है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

4— वर्तमान में आयी प्राकृतिक आपदा से अनाथ हुए बवचेम का पालन-पोशण का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5— वर्तमान में आयी प्राकृतिक आपदा से गन्ने की फसल की क्षति के सम्बन्ध में राहत धनराषि सदाबहार फसलों/फलों की तुलना में 50 प्रतिष्ठत अधिक देय होगी।

6— उक्तानुसार क्षतिग्रस्त होटल की क्षति का निर्धारण किये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अधिषासी अभियन्ता समिति के सदस्य होंगे, जो आपदा से हुई क्षति की गणना कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेंगे।

7— उक्तानुसार भुगतान की जानी वाली धनराषि का वहन मा0 मुख्यमंत्री राहत कोश से किया जायेगा।

8— यह आदेष वित्त विभाग के अषासकीय पत्र सं0 56 छच्चगटप्प, 5द्वध13.14 की दिनांक 04.07.2013 द्वारा दी गई सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम.एस. चौहान)
अनु सचिव

संख्या-485;1)/XVIII&1/2) / 2013-4(27) / 10 ज्ञ तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवध्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), ओबेराय बिल्डिंग, देहरादून।
- 2— निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड षासन।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन।

- 4— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड षासन।
5— प्रमुख सचिव / सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड षासन।
6— आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
7— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— अधिषासी निदेशक, डी.एम.एसी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एस. चौहान)
अनु सचिव

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 27 जून, 2013

विषय :— वित्तीय वर्ष 2013–2014 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिम आपदा से होने वाले क्षति पर अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान तथा कृषि इनपुट सब्सिडी इत्यादि मदों को पुनरीक्षित दरों के आधार पर वितरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी मानसून अवधि के दौरान राज्य में भारी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे जान–माल की अत्यधिक क्षति हुई है। शासन द्वारा इस विषिष्ट रिथ्ति का संज्ञान लेते हुए सम्यक् विचारोपरान्त केवल इस मानसून अवधि हेतु राहत सहायता बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि शासनादेष संख्या— 2127/XVIII-(2)/10-4(27)/2010, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 एवं संख्या—344/XVIII-(2)/12-4(27)/2010, दिनांक 28 जून 2012 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी गयी दरों में आंशिक संघोधन करते हुए निम्नानुसार राहत सहायता वितरित कि जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र. सं.	क्षति का प्रकार	राहत सहायता				
		SDRF/NDRF के मानकानुसार राहत सहायता	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा देय राहत सहायता	राज्य सरकार द्वारा राहत सहायता की पुनरीक्षित दरें	माझे प्रधान मंत्री राहत कोष से प्राप्त सहायता	वर्तमान में कुल राहत सहायता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह भुगतान	1.50 लाख	3.00 लाख	—	रु. 2.00 लाख	रु. 5.00 लाख
2.	अपंगता 80 प्रतिष्ठत से अधि	62 हजार	1.50 लाख	—	50.00 हजार	रु. 2.00 लाख
3.	अपंगता 40 से 80 प्रतिष्ठत तक	43.50 हजार	1.00 लाख	—	50.00 हजार	1.50 लाख
4.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से अधिक चिकित्सालय में रहना पड़े।	9.30 हजार	20 हजार	30.00 हजार	—	30.00 हजार
5.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से कम चिकित्सालय में रहना पड़े।	3.10 हजार	10 हजार	15.00 हजार	—	15.00 हजार
6.	पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का मकान	35 हजार	1.00 लाख	—	1.00 लाख	2.00 लाख
7.	तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त पक्का मकान	6.30 हजार	10 हजार	50.00 हजार	50.00 हजार	1.00 लाख

8.	क्षतिग्रस्त / नष्ट प्रति झोपड़ी	रु0 2,500	3.00 हजार	6.00 हजार	—	6.00 हजार	
9.	भवन के साथ जुड़ी पशुषाला (प्रति पशुषाला)	रु0 1250	रु0 1250	रु0 2,500	—	रु0 2,500 (पशुषाला)	
10.	प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर बह गये हो अथवा जलभराव से प्रभावित हो।	कपड़े हेतु	रु0 1,300 प्रति परिवार	रु 2,600	रु0 4.00 हजार	रु0 4.00 हजार प्रति परिवार	
		बर्तन हेतु	रु0 1,400 प्रति हजार	रु0 2,800	रु0 4.00 हजार	रु0 4.00 हजार प्रति परिवार	
11.	कृषि भूमि में अवसाद हटाने के लिए (प्रति है0)	रु0 8,100 (प्रति है0)	10 हजार	15.00 हजार	—	15.00 हजार(प्रति है0)	
12.	भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि की क्षति (प्रति है0)	25.00 हजार (प्रति है0)	2,500 प्रति नाली (पर्वतीय क्षेत्र) 1.00 लाख प्रति है0 (मैदानी क्षेत्र)	कॉलम नं0—4 के अनुसार	—	कॉलम नं0—4 के अनुसार	
13.	फसल नुकसान (50 प्रतिशत से अधिक होने पर)	असिंचित भूमि के लिए	3.00 हजार (प्रति है0)	3.00 हजार	5,000	—	रु0 5.00 हजार (प्रति है0)
		सिंचित भूमि के लिए	6.00 हजार (प्रति है0)	6.00 हजार	8.00 हजार	—	रु0 8.00 हजार (प्रति है0)
14.	सदाबहार फसल का 50 प्रतिष्ठत या इससे अधिक नुकसान होने पर	8.00 हजार (प्रति है0)	10 हजार	15,000	—	रु0 15.00 हजार (प्रति है0)	
15.	दुधारू पशु भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि की मृत्यु पर (प्रति पशु)	रु0 16,400	—	रु0 20.00 हजार	—	रु0 20.00 हजार (प्रति पशु)	
16.	बछिया, गधा एवं खच्चर की मृत्यु पर (प्रति पशु)	रु0 10.00 हजार	रु0 7,500	रु0 11.00 हजार	—	रु0 11.00 हजार	
17.	बकरी एवं भेड़ की मृत्यु पर (प्रति पशु)	रु0 1,650	रु0 2.00 हजार	रु0 3,000	—	रु0 3,000 (प्रति पशु)	
18.	कुकुर्कुट पालन प्रति पक्षी/मुर्गी की मृत्यु पर (अधिकतम 400 रुपये प्रति परिवार)	रु0 37	रु0 50	रु0 100	—	रु0 100	

2— उपर्युक्तानुसार बढ़ाई गई राहत सहायता केवल इस मानसून अवधि हेतु ही अनुमन्य होगी तथा शेष प्रकरणों/अवधि के सम्बन्ध में भारत सरकार के शासनादेश संख्या—32—7/2011—NDM—1, दिनांक 16 जनवरी, 2012 एवं संख्या—32—3/2012—NDM—1, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के अनुसार राहत सहायता पूर्वतः लागू होगी।

3— राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक यथावत रहेंगे। परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शर्त के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की पुख्ता व्यवस्था कर ली जायेगी एवं सत्यापन/प्रमाणीकरण की पुष्टि हेतु समुचित एवं विश्वसनीय अभिलेख/साक्ष्य की व्यवस्था भी कर ली जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय "राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF)" के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4— प्रभावितों की सम्यक पहचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5— व्यय करते समय बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि में इंगित नियमों तथा मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6— उक्त बढ़ी हुई राहत सहायता का व्यय/भुगतान फिलहाल राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF) सम्बन्धी लेखाशीर्षक चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय—व्ययक अनुदान संख्या—6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—05 राज्य आपदा मोर्चन निधि (90% केन्द्र पोषित)—आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—00—13—आपदा राहत निधि से व्यय—42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा तथा बढ़ी हुई दरों के कारण वांछित अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति यथासमय शासन स्तर पर कर ली जायेगी।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या—49 NP/वित्त अनु०—५/2013 दिनांक 27 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या—475(1)/XVIII-(2)/F/13-4-(27)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सिवच, वित एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, माठ मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
11. वित अनुभाग—5
12. धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम.एस.चौहान)
अनु सचिव

प्रेषक,

संतोश बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादून 28 जून, 2012

विशयः— वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी इत्यादि के मदों को बढ़ी हुई दरों के आधार पर वितरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विशयक अवगत कराना है कि इस वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के सापेक्ष षासन द्वारा राज्य की विषेश भौगोलिक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार राहत सहायता बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः निम्नानुसार पुनरीक्षित दरों के अनुरूप राहत सहायता वितरित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र. सं.	क्षति का प्रकार	राहत सहायता		
		वर्तमान मानकों के अनुसार राहत सहायता	मानसून अवधि 2010 एवं 2011 में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राहत सहायता	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरें
1	2	3	4	5
1.	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह भुगतान	1.50 लाख	2.50 लाख	3.00 लाख
2.	अपंगता 80 प्रतिष्ठत से अधिक	62 हजार	1.00 लाख	1.50 लाख
3.	अपंगता 40 से 80 प्रतिष्ठत तक	43.50 हजार	75 हजार	1.00 लाख
4.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से अधिक चिकित्सालय में रहना पड़े।	9.30 हजार	10 हजार	20 हजार
5.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से कम चिकित्सालय में रहना पड़े।	3.10 हजार	4 हजार	10 हजार
6.	पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का मकान	35 हजार	50 हजार	1.00 लाख

2. उपरोक्तानुसार बढ़ाई गई राहत सहायता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उक्त के अतिरिक्त ऐश मदों की राहत सहायता राज्य आपदा मोर्चन निधि ५०००००० के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मानकों के अनुसार रहेगी।

3. राज्य आपदा मोर्चन निधि ५०००००० के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक यथावत रहेंगे।

4. राहत सहायता वितरण से पूर्व आपदा से हुई क्षति के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की पुख्ता व्यवस्था कर ली जायेगी एवं सत्यापन/प्रमाणीकरण की पुश्टि हेतु समुचित एवं विष्वसनीय अभिलेख/साक्ष्य के आधार पर ही धनराषि लाभार्थियों को स्वीकृत की जायेगी। राहत के स्वीकृति सम्बन्धी आदेष में आपदा का प्रकार (भारत सरकार से अधिसूचित) तथा उसके घटने की स्थिति का भी विवरण दिया जायेगा।

5. राहत विरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिष्चित कराये जाने हेतु समस्त लाभार्थियों का विस्तृत विवरण एन.आई.सी. की वेबसाइट पर जिलावार अपलोड किया जाना सुनिष्चित किया जायेगा।

6. प्रभावितों के बैंक एकाउंजट होने की स्थिति में राहत राषि के वितरण की कार्यवाही यथासम्भव म. इंदापदह के माध्यम से सुनिष्चित करायी जायेगी। जहाँ म.इंदापदह की सुविधा नहीं है, वहाँ क्मउंदक क्तंजि के माध्यम से धनराषि वितरित की जायेगी।

7. व्यय करते समय बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि में इंगित नियमों तथा मितव्यता के विशय में धासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेषों का अनुपालन किया जायेगा।

8. राहत राषि का वितरण समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत की गई व्यवस्थानुसार निष्चित समय सीमा के अंतर्गत लाभार्थियों को सुनिष्चित कराया जायेगा।

9. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त बढ़ी हुई सहायता का भुगतान फिलहाल “राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)” सम्बन्धी लेखाण्डीर्शक/मद से ही किया जायेगा तथा बढ़ी हुई दरों के कारण वांछित अतिरिक्त धनराषि की पूर्ति यथासंमय धासन स्तर पर कर दी जायेगी।

10. यह आदेष वित्त विभाग के अ.षा.संख्या-40 छ/वित्त अनु० 5/2012 दिनांक 27.06.2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संतोश बडोनी)

अनु सचिव

संख्या-344 / ग्रप्प-(2) / 12-4(27) / 10 तददिनांकित

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4. समस्त कोशाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. निजी संचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड धासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड धासन।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट अधिकारी, बजट राजकोशीय नियोजन एवं संसाधन निदेषालय, उत्तराखण्ड।
11. अधिषासी निदेषक, डी.एम.एसी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग-5
13. धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोश बडोनी)

अनु सचिव

संख्या—32-7/2011-NDM-I
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
(आपदा प्रबन्धन प्रभाग)

लोक नायक भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, समस्त प्रदेश
2. राहत आयुक्त / सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, समस्त प्रदेश

विषय— 2010–15 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोर्चन निधि (State Disaster Response Fund; SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (National Disaster Response Fund; NDRF) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा सम्बन्धित व्ययों के दृष्टिगत वर्ष 2010–15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग एवं विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए देय सहायता हेतु मदों एवं मानकों को पुनरीक्षित किया गया है। तदनुसार राज्य आपदा मोर्चन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ) से सहायता हेतु अनुमोदित मदों व मानकों की सूची संलग्न है। पुनरीक्षित मद एवं मानक तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

2. पुनरीक्षित मद व मानकों की सूची गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन प्रभाग की वैब साइट <www.ndmindia.nic.in> पर उपलब्ध है।
3. इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित राज्यों के महालेखाकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
4. यह उक्त विषय पर इस मंत्रालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रों (जिनमें से अन्तिम की पत्र संख्या 32-34/2007-NDM-I 27 जून, 2007 है और जिसमें पत्र संख्या—32-31.2009-NDMI 31 जुलाई, 2009 द्वारा परिवर्तन किये गये हैं) को संशोधित करता है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(देव कुमार)

निदेशक (डीएम.—)

दूरभाष: 24642853 / फैक्स : 24603033

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, समस्त प्रदेश
2. लेखा एवं महानियंत्रक, नई दिल्ली
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
4. स्थानिक आयुक्त, समस्त प्रदेश

प्रतिलिपि—

1. सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एन.डी.एम.ए. भवन, सफदरजंग एनकलेव, नई दिल्ली।
2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (अंजुलि चिब दुग्गल, ए.एस. (पी.एफ.-प्लॉक, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली
3. कृषि मंत्रालय (श्री अटानू पुरक्यारथा), संयुक्त सचिव, (डीएम), कृषि भवन, नई दिल्ली
4. योजना आयोग (श्री टी. के. पाण्डे), संयुक्त सचिव, (एस.पी.), योजना भवन, नई दिल्ली
5. समस्त सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/संस्थान
6. प्रधनमंत्री कार्यालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय
7. निजी सचिव, मा. गृह मंत्री/निजी सचिव मा. राज्य मंत्री (आर)

8. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा. गृह सचिव/सचिव (बीएम)/संयुक्त सचिव (डी.एम.-टी)/प्रचार-प्रसार अधिकारी/राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

संलग्नक

राज्य आपदा मोर्चन निधि (State Disaster Response Fund; SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (National Disaster Response Fund; NDRF) से देय सहायता हेतु

पुनरीक्षित मदों एवं मानकों की सूची

(अवधि 2010–15, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–32.7/2011.MDM-I दिनांक 16 जनवरी, 2012)

क्रम संख्या	मद	सहायता हेतु मानक
1. अनुग्रह राहत		
अ)	मृतक व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान	₹ 1.50 लाख प्रति मृत व्यक्ति मृत्यु के कारण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने की स्थिति में राहत कार्यों में लगे या पूर्व-तैयारियों से जुड़े व्यक्ति के परिजन भी इस लाभ से आच्छादित हैं – किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भारतीय नागरिक की किसी अन्य राष्ट्र में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को यह राहत अनुमन्य नहीं होगी – किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक की भारतीय भू-भाग में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को इस राहत राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा
ब)	हाथ—पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान	₹ 43,500 प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 80 प्रतिशत के मध्य होने की स्थिति में ₹ 62,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के 80 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में अपंगता के स्तर एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है
स)	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो	₹ 9,300 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में ₹ 3,100 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में
द)	घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या एक सप्ताह से	₹ 1,300 प्रति परिवार कपड़ों की क्षति के लिये ₹ 1,400 प्रति परिवार

	अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्टन या घरेलू सामान के लिये	बर्टनों या घरेलू सामान की क्षति के लिये
इ)	अत्यन्त जरुरतमन्द परिवारों को आपदा पश्चात जीवन—यापन हेतु अनुग्रह अनुदान यह अनुदान केवल उन्हें ही दिया जाना चाहिये जिनके पास आरक्षित खाद्यान्न न हो या आपदा के कारण जिनके खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो गये हो और जिनके पास जीवन—यापन के अन्य कोई साधन न हो	<p>₹ 30 प्रति व्यक्ति एवं</p> <p>₹ 25 प्रति बालक प्रतिदिन</p> <p>प्रभावित व्यक्ति राहत शिविर में न रह रहा हो राज्य सरकार सत्यापित किया जायेगा कि</p> <ul style="list-style-type: none"> - प्रभावित व्यक्तियों के पास आरक्षित खाद्यान्न नहीं है या आपदा के कारण उनके खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो गये हैं - चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रह रहे हैं - साथ ही राज्य सरकार लाभार्थियों के चिन्हांकन का आधार तथा प्रक्रिया का जनपदवार विवरण उपलब्ध करवायेगी <p>अनुग्रह अनुदान दिये जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति “जंजम मामबनजपअम बउउपजजममय”में या केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोषय छंजपवदंस क्षेंजमत त्वेचवदेम अनदकय छक्ष से सहायता दिये जाने की स्थिति मेंद्व के आंकलन के अनुरूप होगी। सहायता दिये जाने की अवधि सामान्यतः 30 दिनों तक होगी जिसे यथा आवश्यकता पहली बार में 60 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। सूखे एवं कीट आक्रमण की स्थिति में इस अवधि को तदपश्चात 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है</p>

2. खोज एवं बचाव प्रचालन

अ)	खोज एवं बचाव उपायों तथा प्रभावितों या प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के निष्क्रमण पर व्यय	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो
ब)	तत्कालिक राहत एवं जीवन बचाने हेतु नावों को किराये पर लिया जाना	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो सहायता की राशि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण अलग—थलग पड़ गये व फँसे हुये लोगों का जीवन बचाने के उद्देश्य से उपयोग में लायी गयी नावों तथा आवश्यक उपकरणों के किराये में व्यय की गयी वास्तविक राशि तक सीमित होगी

3. राहत उपाय

अ)	प्रभावित/निष्क्रमित एवं राहत शिविरों में शरण ले रहे व्यक्तियों के लिये अस्थाई आवास, खाद्यान्न, कपड़े, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य की व्यवस्था का प्रावधान	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन के अनुरूप या (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप 30 दिनों की अवधि तक। राज्य कार्यकारी समिति द्वारा शिविरों की संख्या, अवधि एवं उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध करवाना होगा। सूखा, बाढ़ या अन्य आपदा के कारण हुवे वृहद विघ्नंस की स्थिति में इस समयावधि को 60 दिनों तक बढ़ाया
----	--	--

		जा सकता है। तीक्ष्ण सूखे की स्थिति में इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है चिकित्सा सुविधायें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्रदान की जा सकती हैं
ब)	आवश्यक आपूर्तियों को आकाश से गिरवाना	<p>वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्यकार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में)</p> <p>— सहायता का परिमाण भारतीय वायु सेना द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं बचाव प्रचालनों के सम्पादन हेतु ली जाने वाली वास्तविक राशि की सीमा तक अनुमन्य</p>
स)	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था	<p>30 दिनों की समयावधि तक वास्तविक व्यय के अनुरूप, जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो।</p> <p>सूखे की अवधि में इस अवधि को 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है</p>

4. प्रभावित स्थलों को अवरोध मुक्त बनाना

	अ) सार्वजनिक क्षेत्रों से मलबे की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि क्रृत्य से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आंकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
	ब) प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आंकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
	स) मृतकों का अंतिम संस्कार व जानवरों के शवों का निस्तारण	वास्तविक व्यय के आधार पर; जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून सहायता लिये जाने की स्थिति में)

5. कृषि

पद्ध	छोटे एवं सीमान्त कृषकों को सहायता	
अ	भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता	
	अ) रेत या अवसाद की परत के 3 इंच से अधिक होने और इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने की स्थिति में कृषि भूमि से अवसाद हटाने के लिये	₹ 8,100 प्रति प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक मद के लिये (लाभान्वित द्वारा किसी अन्य सहायता/सहायिकी न लिये जाने और उसके सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ उठा पाने का पात्र न होने की स्थिति में)
	ब) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिये	
	स) मत्स्य पालन जलाशयों की सफाई/मरम्मत/पुनर्स्थापना	
	द) भू-स्खलन, हिम-स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के	₹ 25,000 प्रति हेक्टेयर यह सहायता केवल राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिक रूप

	कारण अधिकांश भूमि को हुयी क्षति	से निजी स्वामित्व वाली भूमि की क्षति की स्थिति में केवल छोटे और सीमान्त कृषकों को दी जा सकती है
ब	कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 50 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)	
	अ) कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिये	₹ 3,000 प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में ₹ 6,000 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की क्षति के न्यूनतम 50 प्रतिशत होने की स्थिति में किसी भी कृषक को देय सहायता की राशि ₹ 500/- से कम नहीं होगी और यह सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी
	ब) सदाबहार फसल	₹ 8,000 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये अनुमन्य। देय सहायता राशि ₹ 1,000/- से कम नहीं होगी
	स) रेशम कृषक	₹ 3,200 प्रति हेक्टेयर ईरी, शहतूत व टस्सर के लिये ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर मँगा के लिये
;पद्ध	छोटे व सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य के लिये कृषि निवेश अनुदान	₹ 3,000/- प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में ₹ 6,000/- प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में ₹ 8,000/- प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये भू स्वामित्व पर विचार किये बिना यह सहायता फसल की क्षति के 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में अधिकतम 01 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक तथा आपदाओं के निरन्तरता में होने की स्थिति में 02 हेक्टेयर प्रति कृषक तक सीमित होगी
6.	पशुपालन: छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता	
;पद्ध	दूध, कृषि एवं डुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन	दुधारू पशु ₹ 16,400/- प्रति पशु भैंस/गाय/ऊँट/याक आदि के लिये ₹ 1,650/- प्रति पशु भेड़/बकरी के लिये कृषि व डुलाई वाले पशु— ₹ 15,000/- प्रति पशु ऊँट/घोड़ा/बैल आदि के लिये ₹ 10,000/- प्रति पशु बछिया/गधा/खच्चर के लिये इस सहायता को आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक

		<p>क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 01 बड़े दुधारू पशु या 04 छोटे दुधारू पशुओं या 01 बड़े कृषि व डुलाई वाले पशु या 02 छोटे कृषि व डुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी (क्षति का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना होगा)</p> <p>कुकुट पालन</p> <p>₹ 37/- प्रति पक्षी – ₹ 400/- प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय।</p> <p>सहायता के लिये पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होनी आवश्यक है</p> <p>नोट – अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता का पात्र होने की स्थिति में इस मद से राहत अनुमन्य नहीं होगी; जैसे कि बड़े पलू या अन्य बीमारियों के कारण होने वाली पक्षियों की क्षति की पूर्ति हेतु कुकुट पालकों के लिये पशुपालन विभाग की पृथक योजना क्रियान्वित है</p>
पपद्ध	मवेशी शिविर में चारे/पशु आहार हेतु	<p>₹ 32/- प्रतिदिन बड़े पशुओं के लिये</p> <p>₹ 16/- प्रतिदिन छोटे पशुओं के लिये</p> <p>राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर 15 दिनों तक किये गये वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य।</p>
पपपद्ध	मवेशी शिविर में जल आपूर्ति	राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर 15 दिनों तक किये गये वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
पअद्ध	दवा व टीकों हेतु अतिरिक्त व्यय	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिये। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा कि दवा एवं टीकों की आवश्यकता सम्बन्धित आपदा में प्रासंगिक है
अद्ध	मवेशी शिविरों के बाहर रह रहे पशुओं के लिये चारे की डुलाई	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर चारे की डुलाई पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिये

7. मछली पालन

पद्ध	<p>क्षतिग्रस्त या खो गयी नाव, जाल एवं अन्य की मरम्मत व पुनर्क्रय हेतु मछुवारों को सहायता</p> <ul style="list-style-type: none"> – कश्ती/नाव – डोंगी – बेड़ा 	<p>₹ 3,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिये</p> <p>₹ 1,500/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिये</p> <p>₹ 7,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के पुनर्क्रय के लिये</p> <p>₹ 1,850/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्क्रय के लिये</p>
------	--	---

	<p>— जाल (लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की अन्य किसी योजना से सहायता/सहायिकी का पात्र होने या ऐसी किसी योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)</p>	
पपद्ध	मत्स्य पालन हेतु सहायिकी निवेश	₹ 6,000/- प्रति हेक्टेयर (कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा दी जाने वाली एक बार की सहायिकी के अतिरिक्त लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सहायता/सहायिकी का पात्र या उक्त योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)

8. हाथकरघा – कारीगरों को सहायता

	पद्ध क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्क्रय के लिये	₹ 3,000/- प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्क्रय के लिये — राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक
	पपद्ध कच्चे माल या बन रहे या बन गये उत्पाद की क्षति के लिये	₹ 3,000/- प्रति शिल्पकार कच्चे माल के लिये — राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक

9. भवन

	अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त / नष्ट भवन	
	पद्ध पक्का भवन	₹ 35,000/- प्रति भवन
	पपद्ध कच्चा भवन	₹ 15,000/- प्रति भवन
	ब) तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन	
	पद्ध पक्का भवन	₹ 6,300/- प्रति भवन
	पपद्ध कच्चा भवन	₹ 3,200/- प्रति भवन
	स) आंशिक क्षतिग्रस्त भवन झोपड़ी के अतिरिक्त कच्चा व पक्का दोनों (जहाँ कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो)	₹ 1,900/- प्रति भवन
	द) क्षतिग्रस्त / नष्ट झोपड़ी	₹ 2,500/- प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, स्थानान्तरणीय एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय इकाई से है जिसका निर्माण धास-फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो) नोट-क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन

		राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है
	इ) भवन के साथ जुड़ी पशुशाला	₹ 1,250/- प्रति पशुशाला

10. अवसंरचना

	<p>क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत या पुनर्स्थापना</p> <p>;1द्व सड़क एवं पुल ;2द्व पेयजल आपूर्ति ;3द्व सिंचाई ;4द्व उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तक सीमित) ;5द्व विद्यालय ;6द्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ;7द्व पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ दूर संचार एवं उर्जा जैसे अपना स्वयं का राजस्व अर्जित करने वाले तथा अपने स्वयं के संसाधनों से तत्कालिक मरम्मत व पुनर्स्थापना के लिये उत्तरदायी क्षेत्रों के लिये (विद्युत आपूर्ति की तत्कालिक व्यवस्था के अतिरिक्त) सहायता देय नहीं है</p>	<p>तत्कालिक प्रकृति के समस्त कार्यों की विस्तृत सूची संलग्नक के रूप में दी गयी है</p> <p>आवश्यकताओं का निर्धारण</p> <p>मरम्मत के लिये राज्य में प्रचलित दरों/मूल्यों/अनुदेशों के अनुरूप राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप</p> <ul style="list-style-type: none"> - अतिवृष्टि, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन एवं अन्य द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिये भारत में सड़कों की मरम्मत के मानक, 2001 , छवतउ वित डंपदजमदंदबम वर्त्तके पद पदकपाए 2001द्व के यथासंशोधित संस्करण को संज्ञान में लिया जायेगा। सन्दर्भ के लिये यह मानक निम्नवत् हैं: • सामान्य एवं शहरी क्षेत्रों में: साधारण मरम्मत ,त्वकपदंतल त्वचंपतए द्व एवं क्रमिक मरम्मत ,मतपवकपबंस त्वचंपतए द्व के जोड़ के 15 प्रतिशत तक • पहाड़ी क्षेत्रों में: साधारण मरम्मत ,द्व एवं क्रमिक मरम्मत ,द्व के जोड़ के 20 प्रतिशत तक <p>नोट - राज्य के द्वारा सर्वप्रथम रखरखाव एवं मरम्मत के लिये की गयी बजट व्यवस्था को उपयोग में लाना होगा</p>
--	--	---

11. क्रय

	<p>आपदा प्रतिवादन हेतु आवश्यक संचार उपकरणों एवं अन्य सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्क्रमण उपकरणों का क्रय</p>	<p>- यह व्यय राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन के अनुरूप केवल राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाना अनुमन्य है। इस मद के अन्तर्गत किया जाने वाला कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये</p>
--	--	--

संलग्नक

(मद संख्या-10)

चिन्हित तत्कालिक प्रकृति के कार्यों की विस्तृत सूची

1. पेयजल आपूर्ति

हैण्ड पम्प/कुवें/जल संचयन टैंकों/सार्वजनिक नलों की क्षतिग्रस्त मुंडेरों, चसंजवितउद्व की मरम्मत द्व क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपों का नये पाइपों से प्रतिस्थापन एवं जल संग्रहण टैंकों की सपफाई (रिसाव रोकने के दृष्टिगत) सहित सार्वजनिक नलों की पुनर्स्थापना

पपद्ध जलापूर्ति हेतु स्थापित पम्प उपकरणों की क्षति, जल संग्रहण टैंकों से रिसाव, क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पम्प से सम्बन्धित अवसंरचना की मरम्मत

2. सड़क

- पद्ध गड्ढों को भरना व टूट गयी सड़क की मरम्मत, जल निकासी हेतु पाइपों की व्यवस्था, पुश्तों का मजबूतीकरण व मरम्मत
- पपद्ध टूट गये कलमठों, बनसअमतजेद्ध की मरम्मत
- पपपद्ध तत्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु क्षतिग्रस्त/बह गये पुलों के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था
- पअद्ध पुलों/पुश्तों तक पहुँच के लिये अस्थाई मरम्मत कार्य, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तात्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु रपटों की मरम्मत, यातायात सुव्यवस्थित किये जाने हेतु सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में अस्थाई मरम्मत व अन्य व्यवस्थायें

3. सिंचाई

- पद्ध क्षतिग्रस्त नहर की तात्कालिक मरम्मत और रेत के बोरों, पथरों, चिनाई व अन्य के उपयोग से जल संग्रहण अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत
- पपद्ध कमजोर भागों की मरम्मतय जैसे कि बंधें के पुश्तों व दीवारों के छिद्रों और निकासी पाइपों की मरम्मत
- पपपद्ध नहर तथा नदी-नालों से वानस्पतिक सामग्रियों/निर्माण सामग्रियों/मलबे को हटवाना

4. स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुँच मार्गों, भवन व विद्युत आपूर्ति लाइनों की मरम्मत

5. पंचायतों की सामुदायिक अवसंरचनायें

- (अ) गाँव की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत
- (ब) नालों/नालियों से मलबे की सफाई
- (स) गाँव की आन्तरिक जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत
- (द) सार्वजनिक प्रकाश उपकरणों की मरम्मत
- (ई) प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, ऑंगनवाड़ी केन्द्र आदि की अस्थाई मरम्मत

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,
तहसील – जनपद–

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा निवासी विधिक
सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00,000/- (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगाये) :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति ।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सेनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण ।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी ।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला—1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला—2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला—3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला—4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला—5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला—6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला—7 वैष्णवृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला—8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला—9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला—10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला—11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला—12 भरण—पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला—13 उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला—14 झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला—15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला—16 मानवाधिकार एवं विकलांगों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला—17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला—18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दार्ढिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला—19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला—20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला—21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला—22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला—23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला—24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला—25 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला—26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला—27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला—28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला—29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला—30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला—31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला—32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला—33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला—34 पुलिस शिकायत प्राधिकरण: एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला—35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला—36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला—37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला—38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला—39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला—40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला—41 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला—42 शिक्षा का अधिकार— निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला—43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला—44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला—45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

46. सरल कानूनी ज्ञान माला—46	आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला—47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला—48	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रुपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोट:- क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलों में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य—सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल